


मुन्तकिली प्रकरण संख्या 50/2019 (RCMS : 2019/00088 ) गोमन्द राम पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी 1 ए एस रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. गुरसेब सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. तहसीलदार, राजस्व सूरतगढ

03.04.2019



प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं. 32/2018 अनवानी गुरसेब सिंह बनाम गोमन्द राम वगैरहा अन्तर्गत धारा 251क आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर